

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री विजेन्द्र गुप्ता

दिनांक : 07.06.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 83

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आदेश दिये हैं कि चौथे दिल्ली वित्तीय आयोग के अनुरूप दिल्ली नगर निगमों को शीघ्रातिशीघ्र देय राशि जारी करे;	नगर निकाय (शहरी विकास विभाग) यह आंशिक रूप से सत्य है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16-04-2018 व 25-05-2018 के तहत केवल पूर्वी दिल्ली नगर निगम तथा उत्तरी दिल्ली नगर निगम को चतुर्थ दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 01-11-2017 के भुगतान सम्बन्धि आदेश किए हैं।
ख	उपरोक्त राशि कब तक जारी करेगी ;	नगर निकाय (शहरी विकास विभाग) मामला विचाराधीन है।
ग	क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा राशि जारी न किये जाने के कारण दिल्ली में विकास कार्य ठप्प हो गए हैं;	नगर निकाय (शहरी विकास विभाग) कोई टिप्पणी नहीं।
घ	उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत निगमों को कितनी राशि देय है; और	नगर निकाय (शहरी विकास विभाग) मामला विचाराधीन है।
ङ	सरकार पांचवे वित्तीय आयोग की सिफारिशों को कब सदन के पटल पर रखेगी ?	नगर निकाय (शहरी विकास विभाग) मामला विचाराधीन है।


J. S. Parnar
Dy. Secy. (Urban Development)
Secy. to GOt of Delhi
Delhi Secretariat